**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1045**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**न्यूनतम मजदूरी में वृ‎द्धि**

**1045. डा. के. पी. रामालिंगम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस माह से पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी को 137 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर 160 रुपये प्रति दिवस कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सभी राज्य सरकारों से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दर, जो संशो‎धित स्तर से कम न हो, निर्धा‎रित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क) से (ग): सरकार ने 01.07.2015 से राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी को संशो‎धित करते हुए उसे 137 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये प्र‎ति ‎दिवस कर ‎दिया है। सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उनके संबं‎धित क्षेत्रा‎धिकारों में आने वाले सभी अ‎नुसू‎चित ‎नियोजनों में राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी से अन्यून न्यूनतम मजदूरी की दरों का ‎निर्धारण/संशोधन करने हेतु 07.07.2015 को एक परामर्शी नोट जारी ‎किया गया है।

\*\*\*\*\*